भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

फैक्स/सीओआईएस/मेल

14.04.2020 को जारी

महाप्रबंधक

भारतीय रेलें

प्रतिलिपि :

पीसीओएम तथा सीपीटीएम/भारतीय रेलें एवं एमडी/केआरसीएल

संदेश सं. डीटीपी/2020/04/22

विषय : यात्री गाड़ी सेवाओं के निरस्तीकरण में वृद्धि।

कोविड-19 के मद्देनजर किए जा रहे उपायों के क्रम में यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय रेलवे पर सभी यात्री गाड़ियां, जो कि, सभी मेल/एक्सप्रेस (प्रीमियम गाड़ियों सहित), यात्री गाड़ियां, उपनगरीय गाड़ियां और मेट्रो रेलवे, कोलकाता की गाड़ियां हैं, के रद्द करने की अवधि को 3 मई, 2020 तक बढ़ाया जाएगा। रद्द की गई गाड़ियों के लिए यात्रियों को किराए की पूर्ण धन-वापसी की व्यवस्था की जाएगी।

आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुरक्षा के मद्देनजर, यात्री सेवाओं का पुनरारंभ, जैसा भी आवश्यक हो, की घोषणा यथा-समय की जाएगी।

अगले आदेशों तक कोई भी अग्रिम आरक्षण नहीं किया जाएगा।

वर्तमान की भांति, मालगाड़ियों और पार्सल का परिचालन जारी रहेगा।

क्षेत्रीय रेलों को उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सूचित किया जाता है। प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने की व्यवस्था करें। की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।

रेड्डी/रेलवे

अजय प्रताप सिंह

(ए.पी.सिंह)

संयुक्त निदेशक टीटी/समय-पालन

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: अपर सदस्य/यातायात, अपर सदस्य/वाणिज्य, अपर सदस्य/टी एंड सी, ईडीपीएम, एमडी/आईआरसीटीसी, ईडी/आईपी, पीएस/सीआरबी, पीपीएस/एमटी, पीपीएस/एमआरएस, पीपीएस/एमटीआर, पीपीएस/एमई, पीपीएस/एमएस और पीपीएस/एएम स्टाफ, माननीय रेल मंत्री के निजी सचिव, रेल राज्य मंत्री के निजी सचिव

Scanned with CamScanner